



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18042023-245235
CG-DL-E-18042023-245235

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1686]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 18, 2023/चैत्र 28, 1945

No. 1686]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 18, 2023/CHAITRA 28, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

का.आ. 1766(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या. 4730 दिनांक 20 अक्टूबर, 2022, का. आ. 4942(अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2022, भाग II, खण्ड (3), उप-खण्ड (1.1) में किया गया था, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट गुजरात राज्य की तालुका गांधीधाम, जिला कच्छ की भूमि में गुजरात राज्य में कंडला (गुजरात) से गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) तक एल.पी.जी. के परिवहन के लिए आइ.एच.बी. लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे “कंडला गोरखपुर एल.पी.जी. परियोजना” के सम्बन्ध में पाइपलाइन बिछाने के प्रायोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी ।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 14.11.2022 तक उपलब्ध करा दी गयी थी ;

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी, श्री बालमुकुंद सूर्यवंशी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आइ.एच.बी. लिमिटेड में निहित होगा ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आइ.एच.बी. लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुसूची					
तालुका : गांधीधाम		जिला : कच्छ	राज्य : गुजरात		
क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	पडाणा	169	00	00	20
		165	00	22	04
		164	00	07	27
		163	00	18	82
		162	00	08	49
		133	00	00	39
		134	00	13	06
		135	00	04	37
		136	00	09	73
		137	00	00	20
	डबल्यु.बी.एम. रास्ता		00	02	09
	139		00	03	85
	138 (पदाणा ग्राम पंचायत)		00	14	18
	76 (पदाणा ग्राम पंचायत)		00	65	77
	पक्का रास्ता (पी.एम.जी.एस.वाय.)		00	01	84
	पक्का रास्ता		00	01	56
	(नाला) 469		00	00	82
	78 (पदाणा ग्राम पंचायत)		00	93	87
	63		00	34	21
	61 (पदाणा ग्राम पंचायत)		00	43	03

	51 (पदाणा ग्राम पंचायत)	00	01	85
	(नाला) 474	00	02	76
	60	00	18	09
	59	00	19	07
	58	00	00	24
	54	00	09	35
पदाणा	कच्चा रास्ता	00	00	36
(जारी....)	57	00	23	66
	55	00	00	22

[एफ.सं. आर-11025(15)/11/2019-ओआर-I-पार्ट (1)/ई-45901]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2023

S.O. 1766(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette No. 4730 date : 20th October, 2022 vide S.O. No. 4942 (E) dated 19th October, 2022 part-II, Section-3, Sub-Section (ii) issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (Hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Taluka – Gandhidham District Kutch of Gujarat State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of LPG from Kandla in the State Gujarat to Gorakhpur in the Uttar Pradesh by IHB Limited for implementing the “Kandla-Gorakhpur LPG Pipeline Project”

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public by 14.11.2022,

And whereas the Competent Authority, Sh. Balmukund Suryavanshi has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report to Central Government,

And whereas, the central Government after considering the report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 6 of the said act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the power conferred by sub-section (4) of section 6 of the said act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the central Government, vests on the date of publication of this declaration, in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE						
Taluka:- Gandhidham			District:- Kutch		State :- Gujarat	
Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area			
			Hectare	Are	Sq.mtr.	
1	2	3	4	5	6	
1	Padana	169	00	00	20	

	165	00	22	04
	164	00	07	27
	163	00	18	82
	162	00	08	49
	133	00	00	39
	134	00	13	06
	135	00	04	37
	136	00	09	73
	137	00	00	20
	WBM ROAD	00	02	09
	139	00	03	85
	138 (Padana Gram Panchayat)	00	14	18
	76 (Padana Gram Panchayat)	00	65	77
	Asphalted Road (PMGSY)	00	01	84
	Asphalted Road	00	01	56
	(NALA) 469	00	00	82
	78 (Padana Gram Panchayat)	00	93	87
	63	00	34	21
	61 (Padana Gram Panchayat)	00	43	03
	51 (Padana Gram Panchayat)	00	01	85
	(NALA) 474	00	02	76
	60	00	18	09
	59	00	19	07
	58	00	00	24
	54	00	09	35
Padana	CART TRACK	00	00	36
(Contd...)	57	00	23	66
	55	00	00	22

[F. No. R-11025(15)/11/2019-OR-I - Part (1)/ E-45901]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.